भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2330

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योग

2330. डॉ. नामदेव किरसानः
श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग शुरू करने तथा संचालित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र में नए उद्योग की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कंपनी-वार क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) : उद्योग विषय मुख्यतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केन्द्र सरकार पूरे देश में औद्योगिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से उचित नीतिगत कार्यकलापों के जरिए देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए सक्षम ईकोसिस्टम उपलब्ध कराने की दिशा में सहायता करती है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही योजनाओं के अलावा, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारत औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीम आदि। निवेश प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है।

II. भारत सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के हिस्से के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाएं विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य

भारत में ऐसे ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों/रीजन/नोड्स का विकास करना है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

III. महाराष्ट्र राज्य में एनआईसीडीपी के अंतर्गत, शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए) और दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र (डीपीआईए) का विकास किया जा रहा है। परियोजना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

i. शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए): चरण 1 को 4,584 एकड़ क्षेत्र में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के हिस्से के रूप में औरंगाबाद में विकसित किया गया है, जो पिछड़ा हुआ जिला है। महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड (एमआईटीएल) नाम से एक एसपीवी का गठन किया गया है। प्रमुख मुख्य अवसंरचना कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 294 निवेशकों/कंपनियों को 2,620 एकड़ की विकसित भूमि आबंटित की गई है, जिसमें एंकर निवेशक अर्थात् दक्षिण कोरियाई कंपनी ह्योसंग को 100 एकड़ का आबंटन भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर, 2019 को शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र को और 29 सितंबर, 2024 को बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है।

ii. दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र: भारत सरकार ने, अगस्त, 2024 में, 5,468 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से एनआईसीडीआईटी फ्रेमवर्क के तहत महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 6,056 एकड़ भूमि विकसित करने को अनुमोदन प्रदान किया है। इस परियोजना से लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित होने और लगभग 12,000 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता प्राप्त होने की संभावना है।

IV. एनआईसीडीपी के अंतर्गत, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) की संकल्पना ईडीएफसी (ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर) के मूल आधार पर की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 परियोजनाएं नामत: आईएमसी आगरा और आईएमसी प्रयागराज पर, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2024 में विचार किया गया और इन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया। एकेआईसी के हिस्से के रूप में, शाहजहांपुर एकेआईसी के प्रभाव क्षेत्र में आता है और वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोई औद्योगिक स्मार्ट शहर का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

V. विगत तीन वर्षों में एनआईसीडीआईटी द्वारा एमआईटीएल (शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र में एसपीवी) को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। हालांकि, एनआईसीडीआईटी द्वारा (03 दिसंबर, 2024 तक) एसबीआईए परियोजना के मुख्य अवसंरचना के विकास के लिए, एमआईटीएल को 3000 करोड़ रुपए की कुल राशि इक्विटी के रूप में जारी की गई है।

VI. सरकार ने दिनांक 31.03.2026 तक के लिए 1700.00 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी)" को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

आईएफएलडीपी के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य को निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई गई है:-

i. चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप-स्कीम: वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 01 इकाई को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 5.75 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

ii. मेगा लेदर फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट (एमएलएफएसीडी): डीपीआईआईटी ने महाराष्ट्र के रतवाड़ गांव में मेगा लेदर फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसकी कुल परियोजना लागत 256.42 करोड़ रुपए है और इसमें भारत सरकार की 125.00 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है।

VII. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित स्कीमों को अनुमोदन प्रदान किया है:

i. दिनांक 15.06.2017 से 31.03.2021 तक जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017 । इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में अब तक 93.09 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।

ii. दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017 । इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में अब तक 642.63 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

iii. दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2037 तक जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम (एनसीएसएस)। इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में अब तक 299.10 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं।

*****